

ऑनलाइन फॉर्म-6 में गैरकानूनी बदलाव का आदेश किसने दिया: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाता पंजीकरण से जुड़े ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा और सवाल किया कि इस बदलाव का आदेश आयोग में किसने दिया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि इसे लागू करने के लिए ‘टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज’ (टीसीएस) में किस अधिकारी ने मंजूरी दी।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘ऑनलाइन फॉर्म-6 को अवैध रूप से बदला गया था, जैसा कि निर्वाचन आयोग के अपने आयुक्तों ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है।’ उन्होंने सवाल किया, ‘आयोग में

कुपोषण से बच्चे की मौत के बाद बालाघाट पहुंचे राहुल

संदीप कुमार
भोपाल, 1 अक्टूबर

कांग्रेस सांसद और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले पहुंचे। वहां उन्होंने बिरसा ब्लॉक के जगला गांव में बैगा आदिवासी परिवारों से मुलाकात की।



उन्होंने कुपोषण और बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की। बालाघाट में

पिछले 3 महीनों में कुपोषण और मलेरिया से कम से कम 32 आदिवासी बच्चों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि मरने वाले बच्चों की तादाद इससे कहीं अधिक है। राहुल ने कहा कि राज्य सरकार बालाघाट में पूरी तरह विफल रही है और उनकी पार्टी इस मुद्दे को लोक सभा में उठाएगी।

किसने टीसीएस को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दी? और क्या उन पर ऐसा करने के

लिए दबाव डाला गया था?’ दरअसल, यह पूरा मामला ऑनलाइन फॉर्म-6 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से

संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा को शामिल किए जाने को लेकर सामने आया है। फॉर्म-6 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने

के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी दैनिक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में पिछले दिनों प्रकाशित खबर में कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज की थी।

दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि एसआईआर के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग का कहना है कि यह घोषणा एसआईआर से संबंधित आदेशों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता थी और मूल वैधानिक फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया।

भाषा

यूपीएससी के शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री

जनसेवा की प्रेरणा वाले युवा लोक सेवा में आएंगे

भाषा
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश को ऐसे युवाओं को लोक सेवाओं में लाना चाहिए, जो सरकारी पद पाने के लिए आकर्षित न हों, बल्कि जनसेवा से प्रेरित हों। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भर्ती परीक्षा में केवल यह न परखा जाए कि अभ्यर्थी को कितना ज्ञान है, बल्कि यह भी देखा जाए कि वह युवा सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहता है।

उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के शताब्दी समारोह में कहा, ‘हमें ऐसे युवाओं को लोक सेवाओं में लाना चाहिए, जो सरकारी पद से नहीं, बल्कि जनसेवा से आकर्षित हों। इसलिए यह जरूरी है कि भर्ती परीक्षा में केवल यह न परखा जाए कि अभ्यर्थी को क्या पता है, बल्कि यह भी देखा जाए कि वह युवा सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहता है।’ उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता और दूरदर्शिता परखनी होगी। उन्होंने कहा कि आज सवाल केवल सेवाओं को उपलब्ध कराने का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या लोक सेवाएं मौजूदा दौर में तुरंत सेवाएं देने की गति के अनुरूप खुद को ढाल पा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने वह दौर भी देखा है, जब सरकार को ‘माई-बाप’ माना जाता था, लेकिन अब हम ‘नागरिक देवो भव’ के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारा मंत्र है... नागरिक देवो भव। यानी हमारे लिए



कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

फ्लाईडुबई: पायलट की हालत स्थिर

फ्लाईडुबई की उड़ान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त करने के अपने सह-पायलट के प्रयास को नाकाम करते समय गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की हालत स्थिर है और सऊदी अरब के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि पायलट को ‘उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार हो रहा है।’ दूतावास ने कहा कि उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है, लेकिन ‘उनकी हालत स्थिर बताई गई है।’

देश का नागरिक किसी देवता से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। अपना संबोधन शुरू करने से पहले मोदी ने फ्लाईडुबई की इजरायल जा रही उड़ान को उपलब्ध कराने का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या लोक सेवाएं मौजूदा दौर में तुरंत सेवाएं देने की गति के अनुरूप खुद को ढाल पा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने वह दौर भी देखा है, जब सरकार को ‘माई-बाप’ माना जाता था, लेकिन अब हम ‘नागरिक देवो भव’ के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारा मंत्र है... नागरिक देवो भव। यानी हमारे लिए

नेतः। उन्होंने कहा कि भारतीय ने 9/11 जैसे हमले को नाकाम कर दिया। स्मित की बहादुरी से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।’ उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मच्छार पर गर्व हो रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से स्मित के दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना करने का अनुरोध किया। मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट व ‘100 लैंडमार्क जजमेंट्स : शेपिंग पॉलिसीज ऑफ़ यूपीएससी ऐंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया’ शीर्षक वाली पुस्तक भी जारी की।

‘अल्पकालिक बचत की आदत पेंशन कवरेज की राह में बाधा’

कृति अंबे
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में देश में बचत की अल्पकालिक प्रवृत्ति को एक बड़ी चुनौती बताया, खासकर बुढ़ापा में वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से। उन्होंने कहा कि देश में शेयर बाजार और म्युचुअल फंड में बढ़ती दिलचस्पी अभी तक लंबी अवधि की सेवानिवृत्ति बचत की ओर समान स्तर के बदलाव में तब्दील नहीं हुई है।

नागेश्वरन ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के एनपीएस दिवस 2026 कार्यक्रम में कहा, ‘भारतीय बचतकर्ता ने बाजार के जोखिम को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई है। कम से कम हम ऐसा मानना चाहेंगे। लेकिन बचतकर्ता ने अभी बड़े पैमाने पर लंबी अवधि के लिए अपनी बचत को प्रतिबद्ध नहीं किया है।’

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत की उम्रदराज होती आबादी को देखते हुए परिवारों के लिए लंबी अवधि में बचत जमा करना अनिवार्य हो गया है। वहीं वित्तीय बाजारों को इन बचतों को उत्पादक और लंबी अवधि के निवेश में लगाने की जरूरत होगी। वित्त वर्ष 206 की आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारतीय परिवारों की सालाना वित्तीय बचत में इक्विटी और म्युचुअल फंड की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 12 में करीब 2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 12-15 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में बैंक जमा की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से अधिक से घटकर करीब 35 प्रतिशत रह गई।

सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में मासिक निवेश भी तेजी से बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 17 में 4,000 करोड़ रुपये से कम था जो वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों में बढ़कर 28,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। नागेश्वरन ने कहा कि परिवारों की बचत में पेंशन और बीमा परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 24 के बीच लगभग अपरिवर्तित रही।

भारत की कुल पेंशन परिसंपत्तियां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 17 प्रतिशत के बराबर हैं जबकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात कम से कम 80 प्रतिशत है। वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया ने इसी कार्यक्रम में कहा कि भारत में पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को पेंशन ग्राहकों के बीच अधिक भरोसा कायम करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेंशन बचत को सामान्य निवेश उत्पादों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। लोहिया ने कहा, ‘पेंशन फंडों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये किसी अन्य वित्तीय उत्पाद की तरह निवेश नहीं हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है।’

उन्होंने कहा कि पेंशन व्यवस्था को यह भी देखना चाहिए कि अंशदान-आधारित योजनाओं में ग्राहकों को कितनी लचीलापन दिया जा सकता है। इसमें लोगों को अपना अंशदान जमा करने की याद दिलाने जैसी



वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार

व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। नागेश्वरन ने कहा कि भारत में हो रहे जनसंख्या संबंधी बदलावों के कारण सेवानिवृत्ति की योजना बनाना लगातार अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूनएफपीए) की इंडिया एंजिंग रिपोर्ट 2023 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीयों की आबादी 2021 में 10.1 प्रतिशत थी जिसके 2036 तक बढ़कर 15 प्रतिशत और 2050 तक 28 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2050 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 34.7 करोड़ हो सकती है। सैपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार, 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने वाला व्यक्ति वर्तमान में औसतन 18.4 वर्ष और जोड़ी की उम्मीद कर सकता है, जबकि महिलाओं के मामले में यह अवधि 19.6 वर्ष है।

नागेश्वरन ने कहा, ‘इसलिए भारत में सेवानिवृत्ति अब जीवन का कोई छोटा-सा अंतिम अध्याय नहीं रह गया है। यह औसतन करीब दो दशकों का जीवन है और यह अवधि इससे भी लंबी हो सकती है जिसका खर्च कामकाजी वर्षों के दौरान की गई बचत से उठाना होगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अभी भी अपेक्षाकृत अनुकूल जनसांख्यिकीय अवसर मौजूद हैं। उनके अनुसार फिलहाल वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात कामकाजी उम्र के प्रत्येक 100 लोगों पर करीब 16 बुजुर्गों का है।

नागेश्वरन ने पेंशन कवरेज बढ़ाने में अनौपचारिकता को भी एक बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 के सांख्यिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार कृषि क्षेत्र से बाहर नियमित वेतन पाने वाले और वेतनभोगी कर्मचारीओं में 53.4 प्रतिशत किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र नहीं थे। नागेश्वरन ने अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में पेंशन बचत की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि ये अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध सबसे लंबी अवधि और सबसे धैर्यवान पूंजी के स्रोतों में शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘जैसे-जैसे पेंशन परिसंपत्तियां बढ़ती हैं उनका सबसे अधिक उपयोग ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है जहां वे वास्तव में सबसे अधिक लाभ पहुंचा सकें यानी ठोस और भरोसेमंद प्रतिफल वाली दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में।’ उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों में भारत के बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 के अंत में एनपीएस के प्रबंधन के तहत करीब 18 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां थीं। इनमें लगभग 47 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियां, 28 प्रतिशत इक्विटी और 21 प्रतिशत कॉरपोरेट ऋण में निवेश किया गया था। नागेश्वरन ने कहा कि इस तरह के निवेश से सरकार की उधारी, कंपनियों की बैलेंस शीट और बॉन्ड तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के जरिये लंबी अवधि की परियोजनाओं को वित्तपोषण मिलता है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



SANWARIYA MULTIVENTURES LIMITED
CIN: U52599RJ2022PLC084017

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of **"Sanwariya Multiventures International Private Limited"** under the provisions of the Companies Act, 2013 vide fresh Certificate of Incorporation issued by Central Registration Centre dated on September 29, 2022. Subsequently, the name of our Company was changed from **"Sanwariya Multiventures International Private Limited"** to **"Sanwariya Multiventures Private Limited"** pursuant to the resolution passed by the shareholders at Extra-Ordinary General Meeting held on June 09, 2025 vide fresh Certificate of Incorporation issued by Central Processing Centre dated on June 16, 2025. Further, pursuant to the resolution passed by the shareholders at Extra-Ordinary General Meeting held on July 25, 2025, the Company was converted into a Public Limited Company, and its name was changed from **"Sanwariya Multiventures Private Limited"** to **"Sanwariya Multiventures Limited"** vide a fresh Certificate of Incorporation consequent to the conversion issued by the Central Processing Centre dated September 08, 2025. The Corporate Identification Number (CIN) of our Company is U52599RJ2022PLC084017. For details of incorporation, change of registered office of our Company, please refer to the section title **"History and Corporate Structure"** on page no 167 of this Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: 1st Floor at Nahar Niwas, Pratap Marg Colony, Swaroopsagar, Udaipur, Pratap Nagar, Girwa, Rajasthan- 313001
Telephone: +91- 9414039358; **Website:** www.smpl.org **E-mail:** info@sanwariyaltld.com
Contact Person: Ms. Prakshi Kalwadia, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTER : MR. RAJARAM VAISHNAV

DETAILS OF THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 61,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF SANWARIYA MULTIVENTURES LIMITED ("SML" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("THE ISSUE"), COMPRISING OF FRESH ISSUE OF 49,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 12,00,000 EQUITY SHARES BY MR. RAJARAM VAISHNAV ("THE SELLING SHAREHOLDER" OR "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS, OUT OF WHICH [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % AND [•] % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF OUR EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH. PLEASE REFER TO SECTION TITLED **"TERM OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 235 OF THIS DRAFT RED HERRING PROSPECTUS.**

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 25(3) of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which 40% of the Anchor investor portion, shall be reserved as: (i) 33.33 per cent for domestic mutual funds; and (ii) 6.67 per cent for life insurance companies and pension funds; Any under-subscription in the reserved category specified in clause (ii) above may be allocated to domestic mutual funds. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders, out of which (a) one third of such portion was reserved for applicants with application size of more than 2 lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10,00,000 and (b) two-third of such portion was reserved for applicants with application size of more than ₹ 10,00,000 provided that the unsubscribed portion in either of such subcategories could have been allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSEBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For further details please refer the section titled **"Issue Procedure"** beginning on page no. 249 of this Draft Red Herring Prospectus.

THE FLOOR PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE AND CAP PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 24(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**SEBI ICDR Regulations**") to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake Initial Public Offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the Draft Red Herring Prospectus along with Abridged Prospectus dated September 30, 2026 which has been filed with the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**" or "**BSE**"). In relation to above, the Draft Red Herring Prospectus along with Abridged Prospectus filed with BSE shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date mentioned below by hosting it on the respective websites of the Stock Exchange i.e., BSE at www.bseindia.com, website of the Company at www.smpl.org and the websites of the Book Running Lead Manager to the Issue at www.corporatemakers.in. Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus along with Abridged Prospectus filed with BSE with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus along with Abridged Prospectus. The members of the public are requested to send a copy of their comments to BSE and /or to the Company Secretary and Compliance Officer at cs@sanwariyaltld.com of our Company and /or the Book Running Lead Manager of the issue at their respective addresses mentioned herein below in relation to the issue on or before 5:00 pm. on the 21st day i.e. 21 days from the date of filing of Issue Document with SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**"). Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled **"Risk Factors"** beginning on page no 24 of this Draft Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered, through the Draft Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**" or "**BSE**"). For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see **"History and Corporate Structure"** on page 167 of the Draft Red Herring Prospectus.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories for the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them of our Company, please see **"Capital Structure"** beginning on page 71 of the Draft Red Herring Prospectus.

		COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CORPORATE MAKERS CAPITAL LIMITED 611, 6 th Floor, Pragati Tower, Rajendra Place, New Delhi- 110008 Telephone: 011 41411600 Email: info@corporatemakers.in; Website: www.corporatemakers.in Investor Grievance Email: compliance@corporatemakers.in; Contact Person: Mr. Rohit Pareek/ Mr. Pawan Mahur SEBI Registration Number: INM000013095 CIN: U65100DL1994PLC063880	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium, Tower B, Plot No.- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serili, Ngampally, Rangareddi, Hyderabad, Telangana- 500032 Telephone: +91-4067162222 / 18003094001 Email ID: sanwariya.ipo@kfintech.com Investor grievance email: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact Person: Mr. M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR0000000221 CIN: L72400TG2017PLC117649	Ms. Prakshi Kalwadia Add: 1 st Floor at Nahar Niwas, Pratap Marg Colony, Swaroopsagar, Udaipur, Pratap Nagar, Girwa, Rajasthan- 313001 Telephone: +91-9216040220 Website: www.smpl.org Email: cs@sanwariyaltld.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Red Herring Prospectus

For Sanwariya Multiventures Limited
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Ms. Prakashi Kalwadia
Company Secretary and Compliance Officer

SANWARIYA MULTIVENTURES LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an Initial Public Offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus with BSE on September 30, 2026. The Draft Red Herring Prospectus shall be available on the website of the BSE at www.bseindia.com and is available on website of the Company i.e. www.smpl.org, website of the Book Running Lead Manager to the issue i.e. Corporate Makers Capital Limited at www.corporatemakers.in. Potential investors should note that investment in Equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section entitled **"Risk Factors"** on page no. 24 of the Draft Red Herring Prospectus and the details set out in the Red Herring Prospectus, when filed. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 (the **"U.S. Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulations and the applicable laws of the jurisdiction where those offer and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.